



CIRCULAR

Circular no.: PFRDA/2022/22/SUP- CRA/7 22nd Aug, 2022

To,
All the NPS stakeholders

Subject: Trail commission to POPs on voluntary contributions through D-Remit by Subscribers associated to POPs under All Citizen Model

PFRDA had introduced the D-Remit (Direct Remittance) facility for the subscribers wherein they could deposit their voluntary contributions with greater ease by creating a static Virtual ID linked to their PRAN and remit the amount from their Bank Account.

- 2. D-Remit envisaged as a 'subscriber centric measure' to enable one to deposit contributions into PRANs from their savings bank account through Net banking/IMPS/UPI. The feature intends to optimize investment return by offering same day NAV, if Trustee Bank receives the contributions before 9.30 AM. It has become very popular because of its ease of use, operational convenience, the unique facility of setting up SI/auto debit, changing the auto debit amount, pause auto debit etc.
- 3. In order to support the Points of Presence (POPs) for their significant efforts and resources deployed by them for sourcing NPS Accounts and make them sustain their NPS outreach efforts, it has been decided that *the trail commission shall be payable to POPs w.e.f.* 01.09.2022. The trail commission on contributions made through D-Remit will be similar to eNPS (other mode of Online contribution) by those subscribers who were on-boarded by the respective PoPs. The charge structure for POPs were provided by PFRDA vide its circular dt. 31.01.2022.
- 4. The trail commission to PoPs for D-Remit Contributions of the associated Subscribers shall be @ 0.20% of the contribution amount (Minimum ₹ 15 and Maximum ₹ 10,000) similar to eNPS. The applicable charges would be recovered by unit deduction on periodical basis.
- 5. All CRAs, NPST and POPs are advised to inform the Subscribers & Stake holders about the proposed charges through all means of communication including SMS, email, Social Media and by placing the circular in their websites.



परिपत्र

परिपत्र सं : PFRDA/2022/22/SUP- CRA/7

प्रति.

सभी एनपीएस हितधारक

विषय : सर्व नागरिक मॉडल के तहत पीओपी से जुड़े अभिदाताओं द्वारा डी-रेमिट के माध्यम से स्वैच्छिक अंशदान पर पीओपी को ट्रेल कमीशन

पीएफआरडीए ने अभिदाताओं के लिए डी-रेमिट (डायरेक्ट रेमिटेंस) सुविधा शुरू की थी, जिसमें वे अपने PRAN से जुड़ी एक स्थायी वर्चुअल आईडी बनाकर अपने स्वैच्छिक अंशदान को अधिक आसानी से जमा कर सकते हैं और अपने बैंक खाते से राशि भेज सकते हैं।

- 2. नेट बैंकिंग / आईएमपीएस / यूपीआई के माध्यम से अपने बचत बैंक खाते से PRAN में अंशदान जमा करने में व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए डी-रेमिट की परिकल्पना 'अभिदाता केंद्रित उपाय' के रूप में की गई थी। यदि ट्रस्टी बैंक द्वारा सुबह 9.30 बजे से पहले अंशदान प्राप्त किया गया हो तो डी रेमिट उसी दिन एनएवी(NAV) की पेशकश करके निवेश रिटर्न को अनुकूलित करना चाहता है। अपने उपयोग में आसानी, परिचालन में सुविधा, एसआई / ऑटो डेबिट सेट करने की अनूठी सुविधा, ऑटो डेबिट राशि को बदलने, ऑटो डेबिट को रोकने आदि सुविधाओं के कारण डी रेमिट बहुत लोकप्रिय हो गया है।
- 3. एनपीएस खातों की सोर्सिंग के लिए उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों और संसाधनों के लिए तथा उन्हें अपने एनपीएस आउटरीच प्रयासों को बनाए रखने के लिए, उनके समर्थन में यह निर्णय लिया गया है कि पीओपी को ट्रेल कमीशन देय होगा जो 01.09.2022 से प्रभावी होगा। डी-रेमिट के माध्यम से किए गए अंशदान पर ट्रेल कमीशन, संबंधित पीओपी के जरिए ऑन-बोर्ड किए गए अभिदाताओं द्वारा ईएनपीएस (ऑनलाइन अंशदान के अन्य तरीके) के समान ही होगा। पीएफआरडीए द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 31.01.2022 के माध्यम से पीओपी के लिए शुल्क संरचना प्रदान की गई थी।
- 4. संबद्ध अभिदाताओं के डी-रेमिट अंशदान के लिए पीओपी को ट्रेल कमीशन ईएनपीएस के समान ही अंशदान राशि का 0.20% (न्यूनतम ₹15 और अधिकतम ₹10,000) होगा। लागू शुल्क समय-समय पर इकाई कटौती के जरिए वसूल किए जाएंगे।
- 5. सभी सीआरए, एनपीएसटी और पीओपी को सलाह दी जाती है कि वे एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया सिहत संचार के सभी माध्यमों और अपनी वेबसाइटों में परिपत्र डालकर अभिदाताओं और हितधारकों को प्रस्तावित शुल्कों के बारे में सूचित करें।

मुख्य महाप्रबन्धक